उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1347 / नौ–9–16–163ज / 2010
लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम,2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–11 सन् 2011) की धारा–4 (1) के अधीन अधिसूचना संख्या–649 / नौ–9–2011–163ज / 2010,दिनांक 30 मार्च,2011 द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड हेतु **अध्यक्ष** पद के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार "अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास 25 वर्षो से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों के अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।"

अधिनियम की धारा–5 (5) के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के **अध्यक्ष** 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष कोई पद धारित नहीं करेंगे। वेतन,भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तो में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायगा। बोर्ड का अध्यक्ष इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर,2016 की सायं 6:00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से सचिव,नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के नाम से या नगर विकास विभाग के ई–मेल (cc.urbandev@gmail.com) पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10/11/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
2. अध्यक्ष,वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड,उ0प्र0,लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,उ0प्र0,लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
6. सूचना निदेशक,सूचना निदेशालय,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के **अध्यक्ष** पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु उक्त विज्ञप्ति को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुये विज्ञापन की पेपर कटिंग नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. कम्प्यूटर सेल,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।